

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं. O-3/Rajasthan-9/2017- SSW-I
सुनवाई तिथि 10.09.2018 का कार्यवृत्त

डॉ. राजेन्द्र जोशी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, श्री ओम प्रकाश, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

शासन के प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि रोस्टर पर राय देने के लिए एक समिति बना दी गई है जिसकी रिपोर्ट 40-45 दिन में आने की संभावना है।

प्रार्थी ने अनुरोध किया कि उपरोक्त समिति की सहायता हेतु एक रोस्टर संबंधी विशेषज्ञ भी होना चाहिए व उन्होंने डॉ. पूरन कोहली के नाम पर सुझाव दिया। डॉ कोहली ने रोस्टर संबंधित कदाचित कुछ किताबें भी लिखी हैं व इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। शासन के प्रतिनिधि ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और कहा कि रोस्टर विशेषज्ञ डॉ कोहली को तत्काल समिति में समिति की सहायतार्थ शामिल कर दिया जाएगा।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासन आवश्यक आदेश निर्गत करेगी।

अगली सुनवाई लगभग 4 माह बाद।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग